खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यक्रम एवं उपलब्धियाँ

(दिनांक– 04.09.2024)

आज खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सहयोग से सूचना भवन के ''संवाद कक्ष'' में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री, बिहार सरकार, श्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा संबोधित किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग; सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग एवं निदेशक, खान सहित खान एवं भूतत्व विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

खान एवं भूतत्व विभाग का मुख्य कार्य राजस्व समाहरण एवं खनिज अन्वेषण है। राज्य में खनन राजस्व मुख्यतः बालू से प्राप्त होता है। विभाग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण हेतु प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभाग द्वारा 3300 करोड़ रूपये लक्ष्य के विरूद्ध 3114 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण किया गया है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अगस्त तक कुल– 813 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण किया जा चुका है, जो गत् वर्ष अगस्त माह तक (510 करोड़) की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है। आज की तिथि में बिहार सरकार के राजकीय कोष में राजस्व समाहरण के दृष्टिकोण से खान एवं भूतत्व विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है।

राज्यान्तर्गत कुल– 984 बालूघाट संबंधित समाहर्त्ता द्वारा चिन्हित किये गये हैं, जिनमें से 369 बालूघाटों की नीलामी की जा चुकी है। नीलामीत बालूघाटों में से अब तब 237 बालूघाटों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है एवं इनमें से 178 बालूघाटों के लिए CTO प्राप्त है। वर्त्तमान में 152 बालूघाटों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य को वृहत खनिज के 10 (दस) खनिज ब्लॉक आवंटित किये गये थे। खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 में वर्ष 2023 में हुए संशोधन के अनुसार क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिजों की नीलामी केन्द्र सरकार द्वारा ही किये जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार 07 (सात) खनिज ब्लॉकों की नीलामी भारत सरकार के स्तर से की जा रही है। प्रथम चरण में 02 (दो) ग्लूकोनाईट एवं 01 (एक) निकेल, कुल तीन खनिज ब्लॉक की नीलामी करायी गयी है। चयनित डाकवक्ताओं को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृत्यादेश (LoI) निर्गत की जा चुकी है।

राज्य सरकार को नीलामी के लिए आवंटित 03 (तीन) खनिज ब्लॉकों रोहतास जिलान्तर्गत भोरा कटरा लाईम स्टोन ब्लॉक तथा जमुई जिलान्तर्गत मंजोस मैग्नेटाइट ब्लॉक एवं भंटा मैग्नेटाईट ब्लॉक की नीलामी के लिए खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निविदा प्रकाशित की जा चुकी है, जो प्रक्रियाधीन है, निविदा समर्पित करने की अन्तिम तिथि 20.09.2024 निर्धारित है।

1. अवैध खनन की रोकथाम :–

बिहार सरकार द्वारा खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नवीनतम IT Initiatives का उपयोग करते हुए खनिजों के उत्पादन से लेकर अंतिम् उपयोगकर्ता तक प्रत्येक चरण की निगरानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी तंत्र (NIC) के माध्यम से की जा रही है:–

i. **एकीकृत कंट्रोल एण्ड कमांड सेन्टर की स्थापना एवं 24x7 Helpline Number (0612–2215360) :–** वैध रूप से खनन एवं परिवहन सुनिश्चित किये जाने हेतु खनन कार्यों एवं खनिज लदे वाहनों के परिवहन का Real Time Monitoring किये जाने के उद्देश्य से विभाग स्तर पर एकीकृत कंट्रोल एण्ड कमांड सेन्टर की स्थापना की गई है। सभी संचालित बालूघाटों के धर्मकोंटा स्थल, वाहनों के आगमन एवं निकास प्वाईंट पर इंटरनेट युक्त कैमरे लगाये गये हैं, जो मुख्यालय के कंट्रोल एवं कमांड सेन्टर से Connected है एवं जिसके फुटेज के माध्यम से अवैध खनन एवं परिवहन पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही, अवैध खनन की सूचना प्राप्त करने हेतु 24x7 Helpline Number (0612–2215360) जारी किया गया है।

ii. **खनिज पट्टा क्षेत्रों की Geo- fencing :-** खनन पट्टा के निर्धारित क्षेत्रों के Geo-Cordinates को KML Maping के माध्यम से Geo-fencing की जा रही है। खनिज परिवहन हेतु वाहनों में GPS अनिवार्य किया जा चुका है। जब GPS युक्त वाहन उक्त Geo–fenced खनन पट्टा क्षेत्र में आयेंगे, तभी वाहनों का ई–चालान निर्गत हो सकेगा।

iii. **ई–चालान निर्गत किये जाने हेतु VAHAN Portal (MoRTH) से Integration** :– खनिज परिवहन वाले सभी वाहनों का VAHAN Portal से Integration एवं खान एवं भूतत्व विभाग के पोर्टल Khanan Soft पर निबंधन अनिवार्य होने के कारण परिवहन विभाग द्वारा अनुमान्य क्षमता के अनुरूप ही वाहनों पर खनिजों की मात्रा लोड की जा सकती है। अब तक कुल– 73218 वाहनों का निबंधन किया जा चुका है। ई–चालान निर्गत किये जाने वाले स्थलों पर धर्मकाँटा एवं CCTV Camera का अधिष्ठापन अनिवार्य

किया गया है, जिसकी Monitoring विभाग स्तर पर स्थापित 24x7 संचालित कंट्रोल एण्ड कमांड सेन्टर के माध्यम से की जाती है।

iv. **GPS युक्त वाहनों की VLTS (Vehicle Location Tracking System) से Real Time Monitoring** :– खनिज परिवहन के वाहनों में GPS एवं VLTS Install करना अनिवार्य किया गया है। खनिजों प्रेषण स्थल से गंतव्य स्थल तक वाहनों के परिचालन गतिविधियों की निगरानी VLTS के माध्यम से की जाती है। निर्धारित रूट से विचलन की स्थिति में VLTS Portal पर प्रदर्शित होता है।

v. **बालूघाटों से निर्गत हो रहे चालानों, वाहनों एवं उनके गंतव्य स्थलों से संबंधित सूचनाएँ Public domain में प्रदर्शित** :– पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न बालूघाटों से निर्गत हो रहे चालानों, वाहनों एवं उनके गंतव्य स्थलों से संबंधित सूचनाएँ Public domain में उपलब्ध करा दी गयी है, जिसे बिना लॉगिन किये हुए Khanansoft.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

vi. अवैध खनन एवं परिवहन की आसूचना पर पुरस्कार :– लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी आमजनों से प्राप्त आसूचना एवं कार्रवाई के लिए पुरस्कार (Reward) का प्रावधान किया गया है। प्राप्त आसूचना के आलोक में छापेमारी सफल होने पर ट्रैक्टर के लिए 5,000/– रूपये तक तथा ट्रक एवं अन्य बड़े वाहनों के लिए 10,000/– रूपये तक संबंधित जिला समाहर्ता के अनुमोदन से आसूचनादाता को पुरस्कार (Reward) के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

vii. खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर चारो तरफ से लाल रंग की 20 ईंच चौड़ी पट्टी की अनिवार्यता :– खनिजों के अवैध खनन/प्रेषण एवं राजस्व क्षति को रोकने हेतु खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर निर्धारित चारो तरफ से लाल रंग से 20 इंच चौड़ी पट्टी पेन्ट कर उसपर खनन वाहन निबंधन संख्या एवं वाहन पंजीकरण संख्या लिखना अनिवार्य करने से संबंधित अधिसूचना ज्ञापांक– 1882 दिनांक– 15.05.2024 निर्गत की गयी है।

2. बालू मित्र पोर्टल के माध्यम से माध्यम से बालू एवं गिट्टी की होम डिलेवरी :– आमजन को सुगम एवं पारदर्शी माध्यम से बालू, गिट्टी एवं अन्य लघु खनिजों की

उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा ''**बालू मित्र**'' पोर्टल विकसित करने की योजना है, जिसके माध्यम से बालू का ऑनलाईन क्रय–विक्रय एवं होम डिलीवरी की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

3. <u>नीलामित बालूघाटों का ससमय संचालन हेतु **Timeline** का निर्धारण</u> :– नीलामित बालूघाटों का संचालन ससमय प्रारंभ हो एवं सफल डाकवक्ता द्वारा बंदोबस्ती उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत करने से एकरारनामा निष्पादन तक प्रत्येक स्तर के करने से कार्रवाई के लिए समय–सीमा निर्धारित करतें हुए अधिसूचना ज्ञापांक– 1731 दिनांक– 10.05.2024 निर्गत की गई है। मॉनसून अवधि में माननीय NGT के आदेशानुसार नदियों से बालू खनन प्रतिबंधित है।

4. <u>**CMPDIL** द्वारा बिहार के पाँच प्रमुख नदियों यथा फल्गु, सोन, मोरहर, किउल, चानन में बालू का पुर्नभरण अध्ययन :–</u> बिहार के पाँच प्रमुख नदियों यथा फल्गु, सोन, मोरहर, किउल, चानन में बालू के पुर्नभरण अध्ययन हेतु मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त कर CMPDIL के द्वारा जिला खनन कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त पाँचो नदियों में बालू के पुर्नभरण का कार्य किया जा रहा है।